

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्

(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन पंजीकृत संस्था)

नर्मदा भवन, द्वितीय तल, 'सी-विंग', 59-अरेरा हिल्स, भोपाल

क्र. S960 / योजना / NR-1 / MGNREGS-MP / 2010

भोपाल, दिनांक 10/06/2010

प्रति,

1. कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक
जिला (समस्त)
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक
जिला पंचायत (समस्त)
मध्यप्रदेश.

विषय: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम-मध्यप्रदेश के अंतर्गत न्यूनतम मजदूरी दरों के संबंध में।

- संदर्भ: 1. कार्यालय का पत्र क्रमांक 15303 दिनांक 18.12.09
2. भारत शासन का पत्र क्रमांक जे-12024/1/2009 दिनांक 12 अप्रैल, 2010

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें। जिसके द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम-मध्यप्रदेश के अंतर्गत दिनांक 1.10.2009 से न्यूनतम मजदूरी की दर रु. 91/- से बढ़ाकर रु. 100/- प्रतिदिवस की गई है।

कतिपय जिलों द्वारा यह मांग की जा रही है कि मजदूरी का एरियर्स भुगतान किस आधार पर किया जावे। भारत शासन के पत्र दिनांक 12 अप्रैल, 2010 के अनुसार एरियर्स राशि का भुगतान नहीं किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। (छायाप्रति संलग्न)

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही की जाना सुनिश्चित करें।

(शिव शेखर शुक्ला)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम-म.प्र.

मुख्यालय, भोपाल

पृ. क्र. S961 / योजना / NR-1 / MGNREGS-MP / 2010 भोपाल, दिनांक 10/06/2010

प्रतिलिपि-

समस्त संभागायुक्त की ओर सूचनार्थ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम-म.प्र.

मुख्यालय, भोपाल